



शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट दि०- 02.09.24

थाना रोजा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व श्री बी.एस.वीर कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण में महिला सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोजा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23/05/2024 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 301/24 धारा 323/366/342/376 भा.द.वि में वांछित चल रहे अभियुक्त सुखलाल पुत्र रामबिहारी निवासी ग्राम बहरिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर को आज दिनांक 02/09/2024 को रोजा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर लोधीपुर जाने वाले रास्ते पर हनुमान मन्दिर के सामने से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुखलाल पुत्र रामबिहारी निवासी ग्राम बहरिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 301/24 धारा 323/366/342/376 भा.द.वि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ०नि० राजेश कुमार
3. का० 2333 रिकू कुमार
4. का० 2227 अरुण तोमर